



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश  
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

संलग्नक-1

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/वि0परिषद/2017/6953

दिनांक: 14/12/17

सेवा में,

1. निदेशक,  
कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
2. निदेशक,  
बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, झांसी।
3. निदेशक,  
उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की 54वीं बैठक जो दिनांक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई, के मद संख्या 54.08 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, झांसी एवं उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की शैक्षिक स्वयत्तता की अनवरतता पर विचार।

विद्यापरिषद द्वारा प्रकरण पर सम्यक चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, झांसी एवं उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की शैक्षिक स्वयत्तता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से तदविषयक अनापत्ति की प्रत्याशा में सत्र 2017-18 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, विद्यापरिषद द्वारा इन संस्थान प्रमुखों को विश्वविद्यालय विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक स्वयत्तता का अनुरोध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शैक्षिक स्वयत्तता हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के विशेष प्रयास की अपेक्षा की गयी।

कृपया माननीय विद्यापरिषद के निर्णय से अवगत होते हुए अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

No 2995/17  
20-12-17

Dr. A. K. Singh, Dean (Acad)

कुलसचिव

20/12/17  
Director

20-12-2017

भवदीय

(ओम प्रकाश राय)  
कुलसचिव

21/12/17

21/12/17